




महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

73



विपुल भारत

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2780128

Sanjiv Kumar

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद।

पत्रांक: आर0टी0ई0 / 407 / 2022-23

दिनांक: 11 अप्रैल, 2023

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

Bea
11/4/23

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के पत्रांक आर0टी0ई0/10703/2022-23 दिनांक 30 जनवरी, 2023 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु प्रथम चरण की लाटरी के सापेक्ष प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 4 अप्रैल, 2023 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश प्रदत्त दिये गये थे। उक्त निर्देश के क्रम में प्रथम चरण के समस्त विद्यार्थियों का विद्यालयों में प्रवेश कराकर आख्या निम्न प्रारूप पर दिनांक 11.04.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	प्रथम लाटरी के सापेक्ष आवंटित विद्यार्थियों की संख्या	प्रवेश प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों की संख्या	प्रवेश प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	प्रवेश न होने का कारण	विद्यालयों द्वारा प्रवेश न दिये जाने के कारण सम्बन्धित विद्यालय के विरुद्ध की गयी कार्यवाही
1	2	3	4 (2-3)	5	6
	13	13	00	-	-

उक्त के अतिरिक्त निर्धारित समय सारणी के अनुसार द्वितीय चरण के आवेदनों का खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भासीन इंटरनेशनल स्कूल, नराभनपुर, पूरनपुर, पीलीभीत

Sangita
Principal

Bhasin's International School
Puranpur

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

पृ0सं0आर0टी0ई0 / / 2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद।
3. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक), समस्त मण्डल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार सतत अनुश्रवण कर निर्धारित तिथि तक समस्त कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा